

प्रेस नोट

दिनांक 09.08.2022

***एसओजी/सर्विलांस टीम अमरोहा व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा वांछित/फरार 50,000/- रुपये इनामी ताहिर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर/टिपलर बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम अमरोहा व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा वांछित/फरार 50,000/- रुपये इनामी अभियुक्त ताहिर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर/टिपलर बरामद हुये ।

***संक्षिप्त विवरण*:-** अवगत कराना है कि ग्राम सांथलपुर में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र के नाम से एक गौशाला स्थित है जिसमें 188 रजिस्टर्ड गौवंशीय पशु मौजूद थे । गौशाला के अध्यक्ष ग्राम प्रधान सांथलपुर रामौतार सिंह पुत्र नेतराम सिंह द्वारा उक्त गौशाला में चारा लाने का ठेका कुछ दिन पूर्व ताहिर पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम सांथलपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को दिया गया था । दिनांक 03.08.2022 को ताहिर उपरोक्त द्वारा गौवंशीय पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में गौशाला पर बाजरा लाकर डाला गया जिसको खाने से गौशाला में कुछ गौवंशीय पशुओं की हालत खराब होने से लगभग 61 गौवंशीय पशुओं की मृत्यु हो गई । उक्त घटना के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी रेणु कुमार द्वारा अपनी लिखित तहरीर थाना आदमपुर पर दी गयी जिसके आधार पर दिनांक 04.08.2022 को थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 162/2022 धारा 34/120B/153A/153B/295A/429 भादवि व 3/8 सी0एस0एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 7 CLA act बनाम ताहिर व उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस सहित पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में दिनांक 06.08.2022 को उक्त घटना में संलिप्त पाये जाने के आधार पर सचिव व गौशाला कर्मी सहित 08 अभियुक्त तथा दिनांक 07.08.2022 को अभियुक्त रामौतार पुत्र नेतराम निवासी ग्राम सांथलपुर अचेक की मदैया थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को



***उक्त अभियोग में अभियुक्त ताहिर उपरोक्त जोकि गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था* ।**

पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरान्त एसओजी/सर्विलांस टीम अमरोहा व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित/फरार चल रहे 50,000/- रुपये इनामी अभियुक्त ताहिर पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम सांथलपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा व प्रकाश में आये 02 अन्य अभियुक्त कमल पुत्र गणेश निवासी ग्राम सिमथला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा व रघुनन्दन पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम पथरा थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्मट्रैक 30 व टिपलर बरामद हुये ।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण*:-**

1. ताहिर पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम सांथलपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
2. कमल पुत्र गणेश निवासी ग्राम सिमथला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
3. रघुनन्दन पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम पथरा थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी*:-**

1. घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्मट्रैक 30 व टिपलर ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. थानाध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र मलिक प्रभारी एसओजी मय टीम ।
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विसलांस मय टीम ।
4. उ0नि0 श्री सत्यपाल दीक्षित थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
5. उ0नि0 संदीप बालियान थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

- 6.का0 1272 पारस मलिक थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
- 7.का0 1359 अनुज कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
- 8.का0 1284 सत्यम थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
9. का01333 हिर्देश कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
10. का0 463 बोबी मलिक थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
11. का0 1310 विनय कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
12. का0 1150 मनीष कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
13. का0 1137 रूपेन्द्र सिंह थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
14. का0 201 लोकेन्द्र बालियान थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
15. का0 1187 मानवेन्द्र सिंह थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA